न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 07/2017 तारीख रजू :–14.02.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. संतोष पुत्र चिरंजीलाल महाजन मैसर्स पूजा सेल्स कार्पोरेशन, एसबीआई बैंक के पास, बजरिया सवाई माधोपुर।
2. आईटीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस वर्लिंगिया हाउस, 37 जवाहर लाल नेहरू रोड कोलकाता।

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 18/8/2022

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री उपेन्द्र मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 05.06.2015 को समय 02.30 पी.एम. पर मैसर्स– पूजा सेल्स कार्पोरेशन एसबीआई बैंक के पास बजरिया सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहा पर संतोष पुत्र चिरंजी लाल महाजन निवासी केशव नगर, नीलकण्ठ महादेव के पीछे सवाई माधोपुर उपस्थित थे, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Yippe Noodles (Sunfeast)** 140 ग्राम के मूल पैक में 07 कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 48 पैकेट्स) दुकान में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Yippe Noodles (Sunfeast)** 140 ग्राम के 16 पेकेट्स वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 320/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **Yippe Noodles (Sunfeast)** 140 ग्राम के 16 पेकेट्स को मूल से लेकर 04–04 पैकेट्स के चार सेट तैयार कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चार लेबल किये गये, जिन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–661 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सन्तोष पुत्र चिरंजीलाल महाजन ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक गजानन्द लोधा वार्ड बॉय द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/2423 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस 1610/एक्ट/2015/564 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Yippe Noodles (Sunfeast)** मिसब्राण्ड (**Mis-Branded**) होना पाया गया।

यह कि उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तो ने **मिसब्राण्ड** (Contravene Regulation 2.2.1(1), 2.2.2(1), (4), (6) and (7) of FSS (Packaging and Labelling) Regulations 2011) खाद्य पदार्थ **Yippe Noodles (Sunfeast)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से एड0 भोला शंकर शर्मा एवं एड0 राधा मोहन शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में **Yippe Noodles (Sunfeast)** 140 ग्राम के पैकेट्स का क्रय अभियुक्त संख्या 2 से क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया गया है जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अभियुक्त संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि उनके पक्षकार द्वारा विक्रय की गई [illegible] **Yippe Noodles (Sunfeast)** 140 ग्राम के पैकेट में एफएसएल रिपोर्ट के [illegible] की कोई मिलावट नहीं की गई है। अभियुक्त का खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड [illegible] नहीं है एवं [illegible] 3(1)(zf)(A)(i) का उल्लंघन नहीं करता है। जिस प्रयोगशाला में नमूने [illegible] एन.ए.बी.एल. (NABL) प्राधिकृत प्रयोगशाला नहीं है न ही एफ.एस.एस. द्वारा अधिसूचित है। इस [illegible]रण 3(p) तथा 43(1) के तहत वैद्य व मान्य खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रयोगशाला नहीं है। ऐसी प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट भी अवैध व अमान्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट सेम्पल की प्राप्ति के दो महिने के विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत की है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के नियम 2.4.2(5) एवं धारा 46(3) के उल्लंघन में है। खाद्य पदार्थ मसाला मिक्स पाउच बंद रीटेल पैकेट का एक भाग है जो अलग से विक्रय हेतु नहीं है। इसलिए यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लैबलिंग अधिनियम, 2011 के अधिनियम 2.2.1(1), 2.2.2(2), (4), (6) एवं (7) के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। हमारी कंपनी द्वारा उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आक्षेपित किये गये समस्त प्रावधानों की कोई अवेहलना नहीं की है और ना ही किसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों व उपनियमों का उल्लंघन किया गया है। वकील अभियुक्त ने उक्त कथन के समर्थन में निम्नानुसार विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति संलग्न की है:–

- माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय का फैसला दिनांक 13.08.2015 (नेसले इण्डिया लिमिटेड बनाम एफ.एस.एस.ए.आई)
- माननीय फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल राज0 जयपुर का निर्णय दिनांक 01.11.2018 (मनीष कुमार बनाम सरकार, अपील संख्या 0025/2017)
- प्रकरण संख्या 54/2016 निर्णय दिनांक 08.11.2018 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आईटीसी लि. (समक्ष न्याय निर्णय अधिकारी चूरू)
- प्रकरण संख्या 55/2016 निर्णय दिनांक 08.11.2018 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आईटीसी लि. (समक्ष न्याय निर्णय अधिकारी चूरू)
- प्रकरण संख्या 57/2016 निर्णय दिनांक 21.12.2016 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आईटीसी लि. (समक्ष न्याय निर्णय अधिकारी अजमेर)
- प्रकरण संख्या 66/2016 निर्णय दिनांक 21.12.2016 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आईटीसी लि. (समक्ष न्याय निर्णय अधिकारी अजमेर)

अन्त में वकील अभियुक्तगण ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के साथ सलग्न उक्तानुसार निर्णयों का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 1610/एक्ट/2015/564 दिनांक 24.07.2017 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.1(1), 2.2.2(1),(4),(6) एवं (7) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.1(1), 2.2.2(1),(4),(6) एवं (7) का उल्लंघन नहीं किया है एवं खाद्य पदार्थ मसाला मिक्स पाउच बंद रीटेल पैकेट का एक भाग है जो अलग से विक्रय हेतु नहीं है। इसलिए यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लैबलिंग अधिनियम, 2011 के अधिनियम 2.2.1(1), 2.2.2(2), (4), (6) एवं (7) के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। उपरोक्त से संबंधित वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। हमारे उत्पाद में किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है, को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.1(1), 2.2.2(2), (4), (6) एवं (7) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि जांच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड हुआ है, इसका जांच रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिसब्राण्ड का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहीं भी मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम के विनियम 2.2.1(1), 2.2.2(2), (4), (6) एवं (7) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:32 IST
Reason: SelfAttested